न्यायालयः— सदस्य, एकादशम् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (म.प्र.)

(समक्षः महेश कुमार झा)

EX-MJC No- 145/2026

एचडीएफसी अग्रो जनरल इंश्यारेंस

//बनाम//

वरूणा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक आदि

———————————————————————

सत्यप्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांकित 17.06.2026

———————————————————————

17.06.2026

डिक्रीदार द्वारा श्री बी. के. अग्रवाल अधिवक्ता उप0।

निर्णीत ऋणी अनिर्वाहित।

प्रकरण निर्णीतऋणीगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

डिक्रीधारी की ओर से अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने आदेश 21 नियम 5 व 6 व्यप्रसं के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का परिशीलन किया गया।

प्रश्नाधीन आवेदन के माध्यम से डिक्रीधारी ने इस निष्पादन प्रकरण को जिला न्यायालय रेवाड़ी, हरियाणा को अंतरित किये जाने संबंधी प्रार्थना इस आधार पर की है कि निर्णितऋणी वाहन स्वामी वरूणा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टक प्रायवेट लिमिटेड, ग्राम खजूरी नेशनल हाईवे नंबंर 8, दिल्ली जयपुर रोड, जिला रेवाडी में होकर वहीं अपना कारोबार करता है।

प्रकरण परिशीलन से यह प्रकट होता है कि इस निष्पादन प्रकरण में डिक्रीधारीगण ने क्लेम प्रकरण कमांक 187/2015 उन्मान श्रीमती लाड़ोबाई आदि विरूद्ध जमीर खान आदि में पारित अवार्ड दिनांक 15.02.2019 अनुसार क्षतिपूर्ति राशि 2,25,000/— (दो लाख पच्चीस हजार) रुपये से वसूली कराये जाने संबंधी प्रार्थना की है। प्रकरण में अब तक मद्यून/निर्णीतऋणी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी है। डिक्रीधारी निर्णितऋणी

वाहन स्वामी वरूणा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टक प्रायवेट लिमिटेड का कारोबार ग्राम खजूरी नेशनल हाईवे नंबंर 8, दिल्ली जयपुर रोड, जिला रेवाडी में होना बताया है। आवेदानुसार निर्णीतऋणीगण की कोई सम्मपति इस न्यायालय के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा–39 की उपधारा–1 के खंड क के प्रावधान अनुसार डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा, यदि वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध डिक्री पारित की गई है, ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारवार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **मोहनलाल गोयनका विरूद्ध विनोय कृष्णा मुखर्जी व अन्य एआईआर 1953 एस सी 65** में भी यह अभिमत दिया है कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वयं के विवेक से भी डिक्री का अंतरण ऐसे न्यायालय को कर सकता है, जिसके द्वारा डिक्री का वास्तविक निष्पादन किया जाना संभव है।

चूंकि यह निष्पादन प्रकरण क्लेम प्रकरण कमांक 144/2026 उन्मान एचडीएफसी विरूद्ध वरूणा इंटीग्रटेड लॉजिस्टिक आदि में पारित अवार्ड दिनांक 15.02.2029 अनुसार क्षतिपूर्ति राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विचाराधीन है और निर्णीतऋणी/अनावेदक का निवास इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर जिला रेवाडी, हरियाणा होने से उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने उपरांत निष्पादन कार्यवाही में अत्यधिक समय लगने की संभावना है, जबकि माननीय उच्चतम् न्यायालय के सिविल अपील क्र. 3660 व 3642 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2025 में दिये गये निर्देशानुसार निष्पादन प्रकरणों का निराकरण **06 माह की अवधि** में किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में डिक्री के प्रभावी और शीघ्रता से निष्पादन हेतु निर्णीतऋणी के निवास स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला न्यायालय को डिक्री का अंतरण किया जाना न्यायोचित होने से आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह निष्पादन प्रकरण माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला रेवाडी, (हरियाणा) की ओर अंतरित किया जाता है।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला रेवाडी, (हरियाणा) को यह प्रकरण निष्पादन हेतु प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध पत्र जारी किया जावे। अनुरोध पत्र के साथ इस आदेश की प्रति, डिक्री अंतरित किये जाने का प्रमाण पत्र तथा डिक्री के तुष्ट न होने संबंधी प्रमाणपत्र भी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला रेवाडी, (हरियाणा) को प्रेषित किया जाये।

डिक्रीधारी आगामी दिनांक 20.07.2026 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश जिला न्यायालय जिला रेवाडी, (हरियाणा) के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित रहे।

आदेश की एक प्रति डिक्रीधारीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर शेष प्रपत्र न्यायिक अभिलेखागार इस निर्देश के साथ संचित किये जायें कि न्यायालयीन आदेश के बिना मूल अभिलेख नष्ट न किया जावे।

(महेश कुमार झा)
सदस्य, एकादशम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर म.प्र.

MAHESH KUMAR JHA
Digitally signed by MAHESH KUMAR JHA
Date: 2026.06.17 17:49:35 +0530